अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यो एवं विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों की बैठक दिनांक 06.02.2016 का कार्यवाही विवरण

प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव एवं अग्रणी महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक दिनांक 060.2.2016 को प्रातः 11.00 बजे महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर में माननीय श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, मंत्री, छ0ग0 शासन उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा राजस्व विभाग की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची **परिशिष्ट "अ"** पर है। उपरोक्त के अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी एवं बी.एस.एन.एल. के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित हुए।

2/ डॉ. बी.एल. अग्रवाल, प्रमुख सचिव सह आयुक्त, द्वारा माननीय मंत्रीजी, कुलपतिगण एवं उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई। सर्व प्रथम बैठक दिनांक 16.10.2015 के पालन प्रतिवेदन के संबंध में माननीय मंत्रीजी को अवगत कराया गया तथा बिन्दुवार चर्चा प्रारंभ की गई।

3/ बैठक में अवगत कराया गया कि 54 महाविद्यालयों को रूसा से रू. दो–दो करोड़ एवं 40 महाविद्यालयों को राज्य शासन की ओर से रू. एक–एक करोड़ की राशि प्रदाय की जा रही है। निर्णय अनुसार महाविद्यालयों में कक्षों की कमी को देखते हुए इस राशि से अतिरिक्त कक्ष निर्माण किया जाना है। कक्षों का आकार 800–900 वर्ग फुट का होना चाहिए। इस हेतु लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता के साथ बैठक कर इसे सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया है। इसके तहत प्रदेश के 94 महाविद्यालयों में लगभग 800 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण किया जाएगा, जिसके तहत लगभग 50000 विद्यार्थियों के बैठक की व्यवस्था की जा रही है। कक्षों के साथ ही एक ब्लाक पुरूष टॉयलेट तथा एक ब्लाक महिला टॉयलेट का निर्माण भी किया जावेगा। इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक इस कार्य हेतु स्वीकृति देने के निर्देश माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गये ।

4/ बैठक में निर्देशित किया गया कि कोई भी महाविद्यालय ऑडिटोरियम निर्माण हेतु प्रस्ताव नहीं भेजेगा। यदि अत्यावश्यक है तो कम लागत से ओपन एम.पी.थियेटर तैयार किया जाए। ऑडिटोरियम विश्वविद्यालय में होना आवश्यक है, महाविद्यालय में इसकी आवश्यकता नहीं है। यह भी निर्देशित किया गया कि कन्या महाविद्यालय एवं कन्या छात्रावास में बाउन्ड्रीवॉल बनाये जाने हेतु प्रस्ताव भेजा जाए। अन्य महाविद्यालयों में ग्रीन बाउण्ड्रीवाल कलेक्टर एवं वन अधिकारियों की मद से कैम्पा फण्ड से तैयार किया जाए।

5 / **बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा एवं दुर्ग विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय भवन निर्माण के संबंध में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया । निर्देशित किया गया कि राष्ट्रीय उच्चत्तर शिक्षा अभियान के अंतर्गत अन्य विश्वविद्यालय के भी भवन बनाया जाना है। अतः प्रथमतः संभागायुक्त, कलेक्टर एवं कुलपति के द्वारा सभी प्राप्त प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण को देख लिया जाए एवं इनमें से सबसे अच्छे तीन प्रस्ताव की अनुशंसा कर शासन स्तर पर भेजा जावें। इस बात का ध्यान रखा जाये कि भवन निर्माण हेतु स्वीकृत रूपये 20 करोड़ की राशि से अधिक का प्रस्ताव नहीं बनाया जाये।**

6/ **रूसा अन्तर्गत अनुदान राशि के व्यय का विवरण :–**

27 महाविद्यालयों को 50–50 लाख की राशि भेजी जा रही है। पूर्व में भी 27 महाविद्यालयों को 25–25 लाख रू. की राशि भेजी गई थी। समस्त प्राचार्य इस राशि को तुरन्त लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरित कर विशेष वाहक द्वारा दिनांक 10.02.2016 तक उपयोगिता प्रमाण पत्र निश्चित रूप से भेजें, ताकि भारत सरकार से आगामी किश्त प्राप्त की जा सके।

इसी प्रकार विश्वविद्यालयों को प्रेषित रू. 2.5 करोड़ की राशि भी लोक निर्माण विभाग को स्थानांतरित कर उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जावें। रूसा अंतर्गत राशि के व्यय हेतु जिला स्तर पर

जिला कलेक्टर, अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य एवं संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के साथ ही जिला स्तर पर एक समिति के गठन करने का निर्देश माननीय मंत्रीजी के द्वारा दिया गया ।

(कार्यवाही अतिरिक्त संचालक(व्ही)/परियोजना संचालक, रूसा)

7. **वार्षिक परीक्षा 2015–16 की तैयारियों के संबंध में समीक्षा :–**

सभी प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि कोर्स समय पर पूर्ण हो। यदि कोर्स पूर्ण नहीं हुआ है तो उसे अतिरिक्त कक्षाएं लेकर पूर्ण कराया जाए। यदि संभव हो तो कोर्स का रिवीजन भी किया जाए। सभी प्राचार्य अपने महाविद्यालयों के शिक्षकों की बैठक लेकर उन्हें सूचित करें कि परीक्षा का मूल्यांकन कार्य सतर्कता एवं सावधानीपूर्वक करें। कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा प्रश्न पत्र सेंटिग, मूल्यांकन, परीक्षा कार्य करने से इन्कार किया जा रहा है। निर्देशित किया गया कि अग्रणी महाविद्यालय के समस्त प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके एवं अधिनस्थ महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के द्वारा परीक्षा से संबंधित कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें। इन्कार करने की स्थिति में उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए। इस हेतु संचालनालय स्तर से भी एक निर्देश जारी किया जावेगा।

(कार्यवाही अतिरिक्त संचालक(बी))

8. **विश्वविद्यालय एवं अग्रणी महाविद्यालयों के कैम्पस को वाई–फाई करना :–**

चिप्स के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि 50 महाविद्यालयों में अप्रैल–मई से वाई–फाई सेवा हेतु कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। लगभग 4.00 लाख रूपयों की लागत से एक महाविद्यालय को वाई–फाई किया जावेगा। महाविद्यालयों में इस हेतु 4–5 वाई–फाई पाइंट दिये जा रहे है,जिससे एक समय में 500–600 लोग वाई–फाई का उपयोग कर सकते है। माननीय मंत्री जी के द्वारा निर्देशित किया गया कि प्रशासकीय भवन, लायब्रेरी, क्लासरूम एवं हॉस्टल में वाई–फाई सुविधा होना चाहिये। चिप्स द्वारा बताया गया कि शासकीय कन्या महाविद्यालय धमतरी, शासकीय महाविद्यालय नगरी, शासकीय कमलादेवी महाविद्यालय राजनांदगांव, शासकीय महाविद्यालय, घुमका एवं शासकीय जे.यो. छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर को अब तक वाई–फाई किया जा चुका है।

बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि **NME-ICT** योजनान्तर्गत 107 में से 104 महाविद्यालयों में ब्राडबैंड कनेक्टिविटी प्रदाय की गई है। अधिकांश महाविद्यालयों द्वारा शिकायत की गई कि उनके महाविद्यालयों में **NME-ICT** योजनान्तर्गत ब्राड बैंड अधिकांश दिनों में खराब रहता है। इस हेतु बी.एस.एन.एल. के अधिकारियों द्वारा शिकायत निवारण हेतु श्री विष्णु सूर्यवंशी, जे.टी.ओ. का मो. नं. 9425201468 एवं ई–मेल **jtovishnu@gmail.com** दिया गया एवं शिकायत निवारण हेतु आश्वासन दिया गया।

9. **आगामी विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यालय में अनिवार्यतः उपस्थिति एवं प्राथमिकता के आधार पर जानकारी प्रदान करने विषयक**

विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि विधानसभा सत्र के दौरान कोई भी अधिकारी बगैर पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर न जाएं। जिस दिन विधानसभा प्रश्न प्राप्त हो उसका उत्तर उसी दिन मोबाइल, फैक्स/मेल आदि से भेजा जाए तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी न दें।

10. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान :-

(i) आई.डी.पी. के अनुसार अधोसंरचना विकास एवं नवीनीकरण की योजना

बैठक में अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय आई.डी.पी. में किये गये उल्लेख के अनुसार ही अधोसंरचना विकास एवं नवीनीकरण के प्रस्ताव भेजें। यदि इन प्रस्तावों का आई.डी.पी. में उल्लेख नहीं है तो इन्हें तत्काल आई.डी.पी. में नियमानुसार शामिल करने की कार्रवाई करें।

(ii) विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के रूसा बैंक एकाउंट का विवरण

केनरा बैंक के अधिकारियों द्वारा बैठक में बताया गया कि जिन जिला मुख्यालय में बैंक नहीं है वे आसपास के मुख्यालय या नजदीकी शाखा में खाता खोल सकते हैं। मुख्यालय के बैंक अधिकारी, जहां शाखा नहीं है वहां जाकर सेवाएं उपलब्ध करायेंगे तथा किसी भी बैंक से चैक/कैश आहरित किया जा सकता है। इस प्रकार केनरा बैंक में खाता खोले जाने से विभिन्न परेशानियों से बचा जा सकता है। इस संबंध में भारत सरकार के भी निर्देश हैं।

11. ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन :-

बैठक में सभी को निर्देशित किया गया कि पोर्टल पर जानकारी समय पर अपलोड की जावे ताकि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदाय किये जाने वाले अनुदान को प्राप्त किया जा सके। सभी की जानकारी दिनांक 25.02.2016 तक निश्चित रूप से अपलोड की जावे। कुलसचिवों को निर्देशित किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि उक्त दिनांक तक डाटा अपलोड हो जावे। डाटा अपलोड न करने की स्थिति में महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जाए।

12. "महाविद्यालय – एक दृष्टि में" से संबंधित जानकारी :-

निर्देशित किया गया कि महाविद्यालयों में एक डिस्प्ले बोर्ड बनाया जाए जिसमें महाविद्यालय की सम्पूर्ण जानकारी जैसे महाविद्यालय का स्थापना वर्ष, नैक मूल्यांकन, संचालित विषय,स्वीकृत पद,कार्यरत अधिकारी–कर्मचारी ,परीक्षा परिणाम, सीट संख्या, विद्यार्थी संख्या आदि का उल्लेख हो। महाविद्यालय से संबंधित जानकारी महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी प्रदर्शित किया जावें।

13. महाविद्यालय भवन का लोक निर्माण विभाग के पंजी में दर्ज होने संबंधी जानकारी :-

सभी प्राचार्यों को निर्देशित किया गया कि सभी भवन, हास्टल आदि का लोक निर्माण विभाग के पंजी में दर्ज कराना सुनिश्चित करें तथा इस संबंध में जानकारी उपलब्ध करायें। किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अपने जिला कलेक्टर को सूची उपलब्ध करावें।

14. बी. वोक एवं एम. वोक पाठयक्रम :-

प्रदेश में महाविद्यालयीन युवा छात्र–छात्राओं के कौशल विकास के लिये तथा शिक्षा को रोजगारपरक बनाने के उद्देश्य से बी.व्होक. एवं एम. व्होक. जैसे पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है। इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा विस्तृत दिशा–निर्देश प्रसारित किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा प्रदेश में पं. दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र की स्थापना हेतु डॉ. सी.वी.रमन विश्वविद्यालय, कोटा, बिलासपुर को अनुमति प्रदान की गई है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव द्वारा इस संबंध में एक पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया गया।

इसके अन्तर्गत– टेलीकम्यूनिकेशन, रिटेल मैनेजमेंट एवं आई.टी. तथा मेनुफेक्चरिंग के क्षेत्र में बी.वोक. एवं एम. वोक. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान की गई है। इसमें यह भी सुविधा है कि छात्र–छात्राएं डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। उक्त पाठ्यक्रम को संचालित करने के पूर्व निर्धारित क्रेडिट ट्रांसफर के लिए उक्त केन्द्र एवं संबंधित विश्वविद्यालयों के

बीच अनुबंध का निष्पादन किया जाना आवश्यक होगा, जिससे क्रेडिट ट्रांसफर में व्यावहारिक कठिनाइयां न हों। उक्त पाठ्यक्रम आगामी शैक्षणिक सत्र से प्रारंभ किया जाना है जिससे पं. दीन दयाल उपाध्याय कौशल केन्द्र का लाभ प्रदेश के सभी महाविद्यालयों के छात्र–छात्राओं को मिल सके।

15. **स्टूडेंट लाइफ साइकल मैनेजमेंट (SLCM)**

उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा चिप्स के सहयोग से 'स्टूडेंट लाइफ साइकल मैनेजमेंट' (SLCM) परियोजना प्रारंभ की जा रही है। इसे इसी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाना है। माननीय मंत्रीजी ने निर्देशित किया कि इस सत्र में ऑन लाइन एवं ऑफ लाइन दोनों ही सुविधा रहेगी।

श्री सौरभ कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स एवं पी.डब्लू.सी. द्वारा उक्त के संबंध में पावर प्वाइंट प्रजेंटेशन प्रस्तुत किया गया तथा विस्तृत चर्चा की गई। बताया गया कि 107 महाविद्यालयो की जानकारी प्राप्त हो गई है तथा 70 महाविद्यालयों की जानकारी अपलोड कर दी गई है तथा वेब पेज तैयार कर लिया गया है।

उक्त परियोजना का कियान्वयन चरणबद्व तरीके से किया जावेगा। इस परियोजना का उद्घाटन माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कराये जाने का निर्णय लिया गया।

निर्देशित किया गया कि **"ऑनलाईन ग्रीवांस रिड्रेसल"** पोर्टल भी chips द्वारा तैयार किया जावे। प्रथम चरण में कॉलेज प्रशासन के लिये यह शुरू किया जावेगा, ताकि महाविद्यालय के प्राध्यापकों/सहायक प्राध्यापकों को रायपुर आना न पड़े।

निर्देशित किया गया कि इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव एवं महाविद्यालय के प्राचार्य एक सप्ताह के अन्दर डाटा चिप्स को उपलब्ध करायें।

16. **मुख्यमंत्री युवा जीवन कौशल विकास कार्यकम** :–

इस योजना के तहत विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा, सामान्य व्यवहार कौशल तथा कम्प्यूटर के ज्ञान की जानकारी प्रदाय की जाएगी। इसमें तीनों विषयों की 100 घंटे की कक्षाएं ली जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा 15 मार्च, 2016 तक टेंडर बुलाया जाएगा। इस हेतु रूसा से धन राशि दी जा रही है। इसमें सीमित संख्या में प्रवेश दिया जाएगा। विस्तृत गाइड लाइन पृथक से भेजी जावेगी।

17. **महाविद्यालयों की रैंकिंग** :–

प्रमुख सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि इस वर्ष से 100 अंक युक्त बिन्दुओं के स्व–मूल्यांकन (Self Assessment) के आधार पर महाविद्यालयों की रैंकिंग की जाएगी। सभी प्राचार्यों द्वारा स्वमूल्यांकन कर जानकारी मेल द्वारा भेजी जाएगी। इस जानकारी के आधार पर संचालनालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाएगा तथा निरीक्षण के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। अतः अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य अपने जिले के महाविद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक आयोजित कर उन्हें इस से अवगत करावें। माननीय मंत्री जी के द्वारा इस पहल की सराहना करते हुए इसे शीघ्र लागू करने के निर्देश दिये गये :–

100 अंकों का वर्गीकरण निम्नानुसार रहेगा :–

1. महाविद्यालय/परिसर/टॉयलेट की साफ सफाई	10 अंक
2. स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था (स्टाफ एवं विद्यार्थियों के लिए),	10 अक
3. महाविद्यालय में वाईफाई की सुविधा	10 अंक
4. महाविद्यालय भवन का रंगरोगन/ग्रीनरी/रख रखाव	10 अंक

5.	रिकार्ड /लेखा का रख रखाव	10 अंक
6.	अकादमिक कार्य (परीक्षा परिणाम सहित)	10 अंक
7.	नेक मूल्यांकन	20 अंक
8.	प्लेसमेंट सेल/कैम्पस प्लेसमेंट	10 अंक
9.	महाविद्यालय में कैंटीन, लाईब्रेरी, खेलकूद तथा अन्य शैक्षणेत्तर गतिविधियॉ	10 अंक

उपरोक्तानुसार सभी महाविद्यालयों में आवश्यक तैयारियां प्रारंभ की जावें। महाविद्यालय के प्राचार्यो का मूल्यांकन भी इसी आधार पर किया जावेगा।

18. अन्य सामान्य निर्देश :-

- स्वाध्यायी छात्रों की संख्या में निरन्तर वृद्धि को देखते हुए निर्देशित किया गया कि विज्ञान संकाय में स्वाध्यायी छात्रों को परीक्षा की अनुमति न दी जाए। इसके लिए पृथक से पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी समिति में अनुमोदित अध्यादेश का पालन किया जावे।
- सभी अग्रणी महाविद्यालय के प्राचार्य यह सुनिश्चित करें कि उनके जिले के संबंधित समस्त महाविद्यालयों की जानकारी वेब पोर्टल में आ जाएं।
- सभी प्राचार्यो को निर्देशित किया गया कि महाविद्यालयों में बैठक क्षमता एवं निर्धारित सीट संख्या के अनुसार ही प्रवेश दें। इसका कड़ाई से पालन किया जाए।
- महाविद्यालयों में वाईफाई प्रारंभ करने हेतु बजट में उपलब्ध राशि चिप्स को तत्काल स्थानांतरित किया जाए।
- महाविद्यालयों द्वारा सोलर प्लांट की स्थापना हेतु प्रेषित रू. 10.00 लाख का चैक उन्हें वापस किया जा रहा है। इस राशि का उपयोग महाविद्यालय में अतिरिक्त निर्माण कार्य हेतु किया जावे तथा राशि लोक निर्माण विभाग को हस्तातंरित किया जावे।
- डोंगरगढ़ में नवीन भवन का निर्माण हो रहा है, अतःरूसा का 2.00 करोड़ एवं राज्य बजट का 1.00 करोड़ अन्य महाविद्यालयों को स्थानांतरित किया जावे।
- आदर्श आवासीय महाविद्यालय में **B.VOC** एवं **M.VOC** पाठ्यक्रम चलाये जावेगें जहां 100 प्रतिशत प्लेसमेंट होगा। इन्हें पी.पी.पी मोड पर चलाया जाना विचाराधीन है। इनके लिये भूमि का चयन शीध्र कर जानकारी भेजें ।
- निर्देशित किया गया कि किसी भी महाविद्यालय के प्राचार्य, प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक एवं अन्य कर्मचारी अनावश्यक रूप से मुख्यालय नही आऐंगे। यदि ऐसा करते पाए गए तो उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

अंत में प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त की गई।

(माननीय, उच्च शिक्षा मंत्री जी द्वारा अनुमोदित)

अपर संचालक
वास्ते आयुक्त,
उच्च शिक्षा

1	डॉ. बी.एल. अग्रवाल, प्रमुख सचिव सह आयुक्त, उच्च शिक्षा, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग,
2.	डॉ. एस.के. पाण्डे, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
3.	डॉ. जी.डी. शर्मा, कुलपति, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर
4.	डॉ. एन.पी. दीक्षित, कुलपति, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
5.	श्री भुवनेश यादव, संयुक्त सचिव एवं परियोजना संचालक (RUSA) छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर
6.	श्री सौरभ कुमार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, चिप्स, रायपुर
7	श्री भथपहरी, मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, रायुपर
8.	उप महाप्रबंधक, बी.एस.एन.एल., रायपुर
9.	डॉ. डी.एन. वर्मा, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
10.	डॉ. के.एन. बापट, अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
11.	डॉ.ए.के. पांडे विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर
12.	डॉ. सुलोचना हबलानी, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, रायपुर
13.	कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल,विश्वविद्यालय, रायपुर
14.	कुलसचिव, सरगुजा विश्वविद्यालय, अंबिकापुर
15.	कुलसचिव, दुर्ग विश्वविद्यालय, दुर्ग
16	कुलसचिव, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बिलासपुर
17	कुलसचिव, बस्तर विश्वविद्यालय, जगदलपुर
18	कुलसचिव, सी.वी.रमन. विश्वविद्यालय, बिलासपुर
19	डॉ. पी.सी. चौबे, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
20	डॉ. किरण गजपाल, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
21	श्री आर.के.शुक्ला, संयुक्त संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
22	डॉ. एन.एस. सूर्यनारायण, उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
23	श्री तिलक सेनगुप्ता, उप संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, रायपुर
24	प्राचार्य,शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय रायपुर
25	प्राचार्य,शास. पी.जी.डी.के. महाविद्यालय, बलौदाबाजार
26	प्राचार्य, शास. वीर सरेन्द्रसाय महाविद्यालय गरियाबंद
27	प्राचार्य,महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय महासमुन्द
28	प्राचार्य, छोटेलाल शास. पी.जी. महाविद्यालय,धमतरी
29	प्राचार्य,शास. वी.वाय.टी. पी.जी. महाविद्यालय दुर्ग
30	प्राचार्य,डॉ. घनश्याम सिंह गुप्त शास.पी.जी. महाविद्यालय बालोद
31	प्राचार्य,शास. जे.एल.एन. पी.जी. महाविद्यालय बेमेतरा
32	प्राचार्य, शास. पी.जी. दिग्विजय महाविद्यालयराजनांदगांव
33	प्राचार्य,आचार्य पंतश्री गंधमुनि नाम साहेब शास. पी.जी. महाविद्यालय कवर्धा
34	प्राचार्य,भानुप्रताप देव शास. पी.जी. महाविद्यालय कांकेर
35	प्राचार्य,शास. काकातीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जगदलपुर
36	प्राचार्य,शास. गुंडाधुर महाविद्यालय कोण्डागांव
37	प्राचार्य,शास. स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय नारायणपुर

27	प्राचार्य,शास. दंतेश्वरी पी.जी. महाविद्यालय दंतेवाड़ा
28	प्राचार्य,.शास. शहीद बापूराव महाविद्यालय सुकमा
29	प्राचार्य,शास शहीद वेंकटराव महाविद्यालय बीजापुर
30	प्राचार्य,शा. ई. राघवेन्द्र पी.जी. कला/वा. महाविद्यालय बिलासपुर
31	प्राचार्य,डॉ. ज्वाला प्रसाद सिंह शास. महाविद्यालय मुंगेली
32	प्राचार्य,शास.टी.सी.एल महाविद्यालय जांजगीर
33	प्राचार्य,शास. इंजी. विश्वेसरैया पी.जी. महाविद्यालय कोरबा
34	प्राचार्य,शास.पी.जी. किरोड़ीमल महाविद्यालय रायगढ़
35	प्राचार्य,शास. रामभजन राय एन.ई.एस. महाविद्यालय जशपुर
36	प्राचार्य,राजीवगांधी शास. पी.जी. महाविद्यालय अंबिकापुर
37	प्राचार्य,शास. रेवतीरमण मिश्र महाविद्यालय सूरजपुर
37	प्राचार्य,शास. महाविद्यालय, रामानुजगंज
38	प्राचार्य,शास. रामानुजप्रताप सिंह देवी पी.जी. महा.,बैकुण्ठपुर
39	कुलसचिव, सी.वी.रमन. विश्वविद्यालय, बिलासपुर
40	प्राचार्य, डॉ. राधाबाई शासकीय नवीन कन्या महाविद्यालय, रायपुर
41	प्राचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रायपुर
42	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव
43	शास. कमला देवी राठी कन्या महाविद्यालय, राजनांदगांव
44.	शासकीय बिलासा पी.जी. कन्या महाविद्यालय, बिलासपुर
45	प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, तखतपुर
46	प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, रतनपुर